कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर

कार्यालय आदेश

अपील संख्या 1937/2022 श्रीमती कर्मा चौधरी बनाम प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा व अन्य में माननीय अधिकरण, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.07.2022 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

अपीलार्थिया ने अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि अपीलार्थिया पुस्तकालध्यक्ष ग्रेड III भर्ती परीक्षा 2018 द्वारा राउमावि पनोतिया, तहसील शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में पुस्तकालध्यक्ष ग्रेड III के पद पर कार्यरत हैं। अपीलार्थिया के कथनानुसार अपीलार्थिया तीन माह की गर्भावस्था एवं पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अपीलार्थिया को अपने गृह जिले जयपुर से 150 किमी दूरस्थ स्थान भीलवाड़ा में राजकीय सेवा देने में कई परेशानियां हो रही है। अतः अपीलार्थिया ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर उपर्युक्त परिस्थितियों के आधार पर भीलवाडा जिले के स्थान पर जयपुर जिले गृह निवास के पास राउमावि लसाडिया या राउमावि चांदमा, तहसील फागी में विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापन की मांग की है।

अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.07.2022 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 के अनुसार पुस्तकालध्यक्ष ग्रेड III का पद जिला स्तर का पद है, जिसका सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी है। रोस्टर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। पुस्तकालध्यक्ष ग्रेड III का पद जिला कैडर का होने के कारण जिला परिवर्तन कर स्थानान्तरण करने से विभाग का जिलास्तरीय रोस्टर प्रभावित होता है। पुस्तकालध्यक्ष ग्रेड III के पद जिले में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर वर्गवार एवं जिलेवार ही विज्ञापित किये जाते हैं एवं चयनित अभ्यर्थियों को जिलेवार व वर्गवार ही नियुक्ति दी जाती है। अन्य जिले में स्थानान्तरण कर जिला परिवर्तन किये जाने से जिलों में उपलब्ध पदों के विरूद्ध पदस्थापन का अनुपात असंतुलित हो जाएगा जिससे अव्यवस्था होगी तथा शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा, जो कि छात्र हित एवं विभाग के अनुकूल नहीं है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post."इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक की पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में स्थानान्तरण का अधिकार सृजित नहीं होता है। कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। राज्य सरकार के पत्रांक प.17(30) शिक्षा–2/2021 जयपुर दिनांक 14.08.2021 में स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों के बिन्दु संख्या–01 में भी यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि "सीधी भर्ती से पदस्थापित परिवीक्षाधीन अध्यापक का स्थानान्तरण नहीं किया जावे।" अपीलार्थिया द्वारा अभ्यावेदन में अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु की जा रही मांग तर्क संगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं है।

उक्तानुसार इस मांग के संबंध में अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज करके निस्तारित किया जाता है।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–2/को.के./जय/12875/2022 दिनांकः 13.09.22

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–विधि) जयपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक भीलवाड़ा
3. सहायक निदेशक (विधि), कार्यालय हाजा
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
5. अपीलार्थिया श्रीमती कर्मा चौधरी, पुस्तकालध्यक्ष ग्रेड III, राउमावि पनोतिया, तहसील शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा **(रजिस्टर्ड)**
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)